मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

क्रमांक 4/लो0से0प्र0/2012/461 भोपाल, दिनांक 3/09/2012

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
4. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषयः—लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के कियान्वयन के संबंध में।

विषयान्तर्गत में आपको अवगत है कि प्रदेश में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 का कियान्वयन किया जा रहा है। इसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की **राज्य बीमारी सहायता निधि, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना व निशक्तजनों को प्रमाण पत्र** प्रदाय सेवाओं को लिया गया है।

लोक सेवा गारंटी की विभिन्न गतिविधियों के कियान्वयन हेतु आपको समय—समय पर पर दिशा—निर्देश पत्र जारी कर, उनका पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

संचालनालय से जारी दिशा—निर्देशों (पत्र क04/समन्वय/2012/302 दिनांक 7.6.2012, क0/315 दिनांक 13.6.2012, क0/341 दिनांक 23.6.2012, क0/429 दिनांक 6.8.2012 एवं क0/451 दिनांक 28.8.2012) में आपको आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने हेतु एवं उनका पालन प्रतिवेदन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। **लेकिन खेद की बात है कि आपके द्वारा संचालनालय के निर्देशानुसार पालन प्रतिवेदन नही भेजे गये हैं।**

दिनांक 31.8.2012 को मुख्य सचिव म0प्र0शासन के द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के कियान्वयन की समीक्षा की गई थी । बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई ।

उपरोक्त के संबंध में आपको अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त निर्देशों के पालन प्रतिवेदन में निम्नांकित बिन्दु कमांक—1 से 4 तक की जानकारियों की हार्ड एवं साफट्कापियॉ, आगामी कलेक्टर—कमिश्नर कांफ्रेंस के पूर्व, दिनांक 05.09.2012 तक विशेष के हस्ते संचालनालय में डॉ0 बी.एन.चौहान, संचालक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1. संचालनालय के संदर्भित पत्रों द्वारा चाही गई पदभिहित अधिकारी, अपीलीय अधिकारी एवं उनके सहायक व कार्यालयों के एक—एक कम्प्यूटर की जानकारी भेजें।
2. सभी पदाभिहित अधिकारियों को अपने—अपने कार्य—क्षेत्र की मेपिंग जिला प्रबंधन विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर, उसका सत्यापन कर, उसे वापस जिला प्रबंधन विभाग कार्यालय को दें एवं इसकी जानकारी/प्रमाण पत्र के रूप में संचालनालय को भेजें।

3. सभी user-ID तैयार कर, इसकी जानकारी जिला लोक सेवा प्रबंधक को देवें एवं संचालनालय को भी अवगत करावें।
4. Digital signature जिले के set map office में आवेदन कर बनाये जावें एवं इसकी जानकारी संचालनालय को भेजें ।

लोक सेवा प्रदाय गारंटी का कार्य संपादन हेतु SWAN Connectivity सभी संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में कराना है। एक टेलीफोन के साथ **Internate** व **SWAN Connectivity** की दोहरी व्यवस्था रखी जावे ।

लोक सेवा प्रदाय गारंटी हेतु जो कम्प्यूटर सिस्टम कार्य में लिया जा रहा है, वह 24X7 घन्टे कार्यरत रहे। इसके लिये आवश्यक हो तो उसकी नियमानुसार AMC कराई जावे।

सभी पदभिहित एवं अपीलीय अधिकारियों को कम्प्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग होना आवश्यक है। इसके लिये जिला कलेक्टरों द्वारा जिलों में ट्रेनिंग कराई जावेगी। यह ट्रेनिंग पदभिहित अधिकारी अवश्य लेवेंगे।

MIS
03/IX/12

(प्रवीर कृष्ण),
प्रमुख सचिव,
म0प्र0शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठां0क्रं0 4/लो0से0प्र0/2012/462 भोपाल, दिनांक 03/09/2012
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग/श्रम विभाग/वित्त विभाग/कृषि विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/सूचना प्रौद्यिगीकी विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/लोक सेवा प्रबंधन विभाग।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 ।
4. संचालक, लोक सेवा प्रबंधन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 ।
5. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग